# कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

## राजस्व–विभाग

क्र.: 3953

## सार्वजनिक सूचना

दिनांक : 27.09.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, म.प्र. नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2021 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 192 भोपाल, दिनांक 03.04.2021 के अनुसार तथा प्रशासन नगर पालिक निगम इन्दौर के संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 (आई) में शब्द ''पचास प्रतिशत की सीमा तक सम्पत्तिकर में छूट प्राप्त होगी'' के पश्चात् शब्द ''तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि सम्पत्तिकर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है'' जोड़ा गया है।

अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में **''आवासीय स्वयं उपयोग''** की सम्पत्तियों पर अधिरोपित सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर सम्पत्तिकर (मद) में 50% छूट की पात्रता बनी रहेगी, परंतु यह छूट दिनांक 31.03.2023 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर ही दी जावेगी।

**''आवासीय स्वयं उपयोग''** की सम्पत्तियों पर पूर्व के वर्षों (वर्ष 2021–22 तक) की बकाया सम्पत्तिकर (मद) राशि पर भी सम्पत्तिकर की 50% छूट की पात्रता दिनांक 31.03.2023 तक ही रहेगी। ऐसे करदाताओं को दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् शत प्रतिशत सम्पत्तिकर का भुगतान नियमानुसार मय अधिभार राशि निगम कोष में जमा करना होगा।

**(प्रतिभा पाल IAS)**

**आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर**

Scanned by CamScanner